न्यूज़ टुडे

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने GIFT-IFSC में 'विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (FCSS)' का शुभारंभ किया

'विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली' के शुभारंभ के साथ ही GIFT-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) उन चुनिंदा वित्तीय केंद्रों में शामिल हो गया है, जिनके पास स्थानीय स्तर पर विदेशी मुद्रा लेनदेन निपटाने की सुविधा है। ऐसी सुविधा **हांगकांग, टोक्यो** आदि में भी मौजूद है।

विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली (FCSS) के बारे में

- यह **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** (IFSCA) द्वारा **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत अधिकृत **भुगतान प्रणाली** है।
- **उद्देश्य: IFSC बैंकिंग यूनिट्स (IBUs) के बीच विदेशी मुद्रा लेनदेन को पारंपरिक कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग रूट** की बजाय स्थानीय रूप से निपटाने में सक्षम बनाना।
  - यह प्रणाली प्रारंभ में अमेरिकी डॉलर में किए गए लेन-देन का निपटान करेगी, तथा समय के साथ इसमें अन्य विदेशी मुद्राओं को भी शामिल किया जा सकता है।
- **FCSS का संचालक:** इसे CCIL-IFSC लिमिटेड संचालित करेगा। यह **क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (CCI) की एक सहायक कंपनी है।**
- **लाभ: यह प्रणाली रियल टाइम** या **लगभग रियल टाइम के आधार** पर लेनदेन का निपटान कर सकेगी। इससे लेनदेन के निपटान समय में काफी कमी आएगी।
  - पारंपरिक कॉरेस्पोंडेंट बैंकिंग रूट के जरिए लेनदेन प्रक्रिया में कई बैंक शामिल होते हैं, और लेनदेन का निपटान करने में 36 से 48 घंटे तक का समय लगता है।

गिफ्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के बारे में

- **गिफ्ट सिटी (गुजरात):** यह भारत का पहला कार्यशील स्मार्ट शहर है। भारत का पहला एवं एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC) यहीं स्थित है।
  - IFSC **ऑनशोर (देश के भीतर) और ऑफशोर (विदेश से जुड़ी) वित्तीय सेवाएं** प्रदान करता है। इसका मिशन **प्रतिस्पर्धी कर-व्यवस्था में** सीमा-पार वित्तीय उत्पाद और सेवाएं प्रदान करना है।
- **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA):** इसे 2020 में **अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम, 2019 के तहत स्थापित** किया गया है।
  - यह भारत में IFSC के तहत वित्तीय उत्पादों, वित्तीय सेवाओं और वित्तीय संस्थानों के विकास एवं विनियमन के लिए **एकीकृत प्राधिकरण है।**
  - इसका **मुख्यालय गिफ्ट सिटी** में है।

2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मानव स्तर पर क्वांटम गुणों की पहचान के लिए दिया गया

संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन वैज्ञानिकों; **जॉन क्लार्क, मिशेल एच. डेवोरेट और जॉन एम. मार्टिनिस** को वर्ष 2025 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है।

पृष्ठभूमि

- भौतिकी में एक बड़ा प्रश्न यह रहा है कि **किस अधिकतम आकार की प्रणाली में क्वांटम गुण प्रदर्शित किए जा सकते हैं।**
  - लंबे समय तक यह माना जाता रहा है कि यह आकार **परमाण्विक (atomic) और उप-परमाण्विक (sub-atomic) स्तरों तक सीमित** हैं।
- पुरस्कार विजेता वैज्ञानिकों ने 40 साल पहले किए गए अपने शोध में यह प्रदर्शित किया था कि **क्वांटम मेकेनिक्स के सिद्धांत बड़े (मैक्रोस्कोपिक) स्तर पर** भी देखे जा सकते हैं। यह प्रणाली इतनी बड़ी है कि इसे हाथ में पकड़ा जा सकता है।
  - उन्होंने यह व्यवहार **मैकेनिकल टनलिंग** और **एनर्जी क्वांटाइजेश** के प्रयोगों के माध्यम से सिद्ध किया।

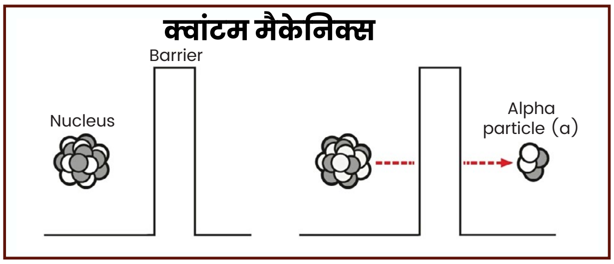

प्रयोग और शोध के बारे में

- क्वांटम मेकेनिक्स एक कण को **क्वांटम टनलिंग** नामक प्रक्रिया के माध्यम से **एक अवरोधक के आर-पार गुजरने की अनुमति** देती है।
  - दूसरे शब्दों में, क्वांटम टनलिंग का मतलब है कि **कण भौतिक दीवारों से होकर भी गुजर** सकते हैं। (इन्फोग्राफिक देखिए)।
  - इससे पहले, ऐसा अनूठा व्यवहार **सूक्ष्म (माइक्रोस्कोपिक) स्तर** पर ही देखा गया था।
  - हालांकि, इन वैज्ञानिकों ने दिखाया कि **बड़े (मैक्रोस्कोपिक) स्तर** पर भी क्वांटम टनलिंग गुणों को प्रदर्शित करना संभव है।
    - इसके लिए उन्होंने दो **सुपरकंडक्टिंग अवयवों वाले एक विद्युत परिपथ (electric circuit)** का उपयोग किया, जिन्हें एक पतली **गैर-चालक (non-conductive) परत** से अलग किया गया था।
      - » इस संरचना को **जोसेफसन जंक्शन** नाम दिया गया।
    - इससे यह प्रणाली **क्वांटाइज्ड** हो गई यानी यह **केवल निर्धारित, असतत मात्राओं (discrete amounts) में ही ऊर्जा को अवशोषित या उत्सर्जित** कर सकती थी जैसा कि क्वांटम मैकेनिक्स में भविष्यवाणी की गई थी।
- **महत्त्व**
  - इस खोज का उपयोग **क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम सेंसर और कंप्यूटर माइक्रोचिप्स में अगली पीढ़ी के ट्रांजिस्टर विकसित** करने में किया जा सकता है।

क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में

- यह समझाती है कि अत्यंत सूक्ष्म वस्तुएँ एक साथ **कण** (पदार्थ के छोटे-छोटे टुकड़े) और **तरंग** (ऊर्जा को स्थानांतरित करने वाला दोलन या परिवर्तन), दोनों के गुण प्रदर्शित कर सकती हैं।
- इस परिघटना को **तरंग-कण द्वैतता (Wave-Particle Duality)** भी कहा जाता है।

केंद्रीय और राज्य सहकारी बैंकों को 'रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2021' के दायरे में लाया गया

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने यह निर्णय **बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A** के तहत लिया है।

'रिजर्व बैंक - एकीकृत ओम्बड्समैन योजना (RB-IOS), 2021' के बारे में

- **उद्देश्य:** विनियमित संस्थाओं (REs) के ग्राहकों को त्वरित, किफायती और सक्षम वैकल्पिक शिकायत निवारण तंत्र प्रदान करना।
- **कवरेज:** RBI की नई घोषणा से पहले इस योजना के दायरे में निम्नलिखित संस्थाएं शामिल रही हैं-
  - सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, तथा 50 करोड़ रुपये की जमा-राशि वाले गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक।
  - ऐसी **गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर)** जो जमा राशि स्वीकार करती हों या कस्टमर इंटरफ़ेस रखने के लिए अधिकृत हों, और जिनकी परिसंपत्ति का आकार 100 करोड़ रुपये है।
  - **सभी सिस्टम पार्टिसिपेंट्स**-इसमें **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के तहत **भुगतान प्रणाली में भाग लेने वाले सिस्टम प्रोवाइडर** शामिल हैं।
  - क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी।
- यह योजना RBI **की निम्नलिखित तीन ओम्बड्समैन योजनाओं को एकीकृत करती है:**
  - बैंकिंग ओम्बड्समैन योजना, 2006;
  - गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2018; और
  - डिजिटल लेनदेन के लिए ओम्बड्समैन योजना, 2019.
- यह योजना **"एक देश, एक ओम्बड्समैन"** के सिद्धांत पर आधारित है। इसका मतलब है कि अब RBI द्वारा विनियमित अलग-अलग क्षेत्रकों की संस्थाओं के लिए अलग-अलग **शिकायत निवारण प्रणाली** नहीं होगी।
- **शक्ति:** ओम्बड्समैन **20 लाख रुपये** तक के मुआवज़े का आदेश दे सकता है। साथ ही, वह शिकायतकर्ता के समय, खर्च और किसी भी मानसिक परेशानी या उत्पीड़न के एवज में 1 लाख रुपये तक का अतिरिक्त मुआवजा के भुगतान का आदेश भी दे सकता है।

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने नई डिजिटल भुगतान पहलें शुरू की

ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल (GFF) 2025 के दौरान ये पहलें शुरू की गईं। इनका उद्देश्य डिजिटल भुगतान को **सुविधाजनक बनाना** और **नवाचार को बढ़ावा** देना है।

शुरू की गई महत्वपूर्ण पहलें

- **NPCI टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड (NTSL):** इसे **फिनटेक से जुड़े नवाचार को बढ़ावा** देने के लिए NPCI की एक **नई सहायक कंपनी के रूप में** लॉन्च किया गया है।
- **UPI मल्टी-सिग्नेटरी:** अब UPI पर ऐसे **जॉइंट अकाउंट** संचालित किए जा सकते हैं, जिनमें UPI पेमेंट करने के लिए एक या एक से ज्यादा सिग्नेटरी के सत्यापन की जरूरत होगी।
  - इससे कॉर्पोरेट्स, MSMEs, स्टार्ट-अप्स आदि को व्यावसायिक लेन-देन में सहायता मिलेगी।
- **भारत कनेक्ट पर फॉरेक्स:** भारत कनेक्ट (BBPS) प्लेटफॉर्म के साथ **FX रिटेल प्लेटफॉर्म** को जोड़ा जाएगा। BBPS को पहले भारत बिलपे (Bharat BillPay) के नाम से जाना जाता था।
  - यह खुदरा ग्राहकों को भारत कनेक्ट के साथ **एकीकृत पेमेंट/बैंकिंग ऐप के माध्यम से** विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
- **UPI के माध्यम से माइक्रो ATM से नकद निकासी:** यह सुविधा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट जैसे **UPI कैश प्वाइंट्स पर नकद निकासी** को सरल बनाएगी।

नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) के बारे में

- NPCI एक **'नॉन-प्रॉफिट कंपनी'** है। यह **RBI और भारतीय बैंक संघ (IBA)** द्वारा **भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007** के प्रावधानों के तहत स्थापित एक पहल है।
  - यह भारत में **खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों की देखरेख के लिए जिम्मेदार शीर्ष संस्था** है।
- **NPCI द्वारा शुरू की गईं प्रमुख पहलें: रुपे भुगतान प्रणाली, नेशनल फाइनेंशियल स्विच (NFS)** जो भारत में ATM को जोड़ता है, **UPI**, आदि।
  - यह **फास्टैग** के माध्यम से राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह (NETC), **IMPS, NACH, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम** जैसी सुविधाएं भी प्रदान करता है।

तमिलनाडु ने चार कम-ज्ञात एंडेंजर्ड प्रजातियों के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपये की मंजूरी दी

इन प्रजातियों में **लायन-टेल्ड मकाक, मद्रास हेजहॉग, स्ट्राइप्ड हाइना और हंप-हेडेड माहशीर मछली** शामिल हैं।

- इससे पहले तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा कई संरक्षण पहलें शुरू की गई थीं। इनमें **पाक की खाड़ी में डुगोंग संरक्षण रिजर्व, कडवूर स्लेंडर लोरिस अभयारण्य,** और **प्रोजेक्ट नीलगिरि** तहर शामिल हैं।
- राज्य सरकार का वर्तमान कदम **कुनमिंग-मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क** के **30×30 लक्ष्यों** के भी अनुरूप है।

चार प्रजातियों का विवरण

प्रजातियां

विवरण	लायन-टेल्ड मकाक	मद्रास या बेयर-बेलिड हेजहॉग	स्ट्राइप्ड हाइना	हंप-हेडेड माहशीर मछली
IUCN रेड लिस्ट स्थिति	एंडेंजर्ड	लीस्ट कंसर्न	नियर थ्रेटेंड	क्रिटिकली एंडेंजर्ड
CITES सूची	परिशिष्ट-I	सूचीबद्ध नहीं	परिशिष्ट-III	सूचीबद्ध नहीं
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) में स्थिति	अनुसूची I और IV में सूचीबद्ध	अनुसूची II में सूचीबद्ध	अनुसूची I और IV में सूचीबद्ध	स्पष्ट रूप से सूचीबद्ध नहीं
स्थानिक (एंडेमिक) क्षेत्र	पश्चिमी घाट (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक)	भारत	अफगानिस्तान, अल्जीरिया, पाकिस्तान, भारत आदि।	भारत (तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक)
मुख्य खतरे	कृषि क्षेत्र का विस्तार, शहरीकरण और खनन।	पालतू बनाने के लिए अवैध व्यापार, लकड़ी की कटाई आदि।	प्रताड़ना (विशेषकर जहर देकर), अन्य बड़े मांसाहारी जीवों में कमी के कारण पालतू या जंगली मृत जीवों (मांस स्रोतों) की घटती उपलब्धता।	बांध, नुकसान पहुंचाने वाली मत्स्यन गतिविधि, आक्रामक प्रजातियों का विस्तार आदि।
अन्य प्रमुख तथ्य	वर्षावन के खंडित भागों में प्राप्त होते हैं।	स्थानीय रूप से 'कांटेदार चूहा' (हॉर्नी रैट) के रूप में जानी जाती है। यह **निशाचर प्रजाति** है जो अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है।	यह प्राकृतिक स्कैवेंजर है जो बीमारियों को फैलने से रोकता है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में इसकी संख्या तेजी से घट रही है।	इसे **'कावेरी का बाघ'** कहा जाता है क्योंकि यह पकड़े जाने पर छूटने के लिए ज़ोरदार संघर्ष करती है।

अन्य सुर्खियां

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (PSBs) ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत **ऋण संबंधी 5 लाख से अधिक आवेदन** स्वीकृत किए हैं। इन आवेदनों के तहत लगभग **10,907 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी** दी गई हैं।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में

- **लक्ष्य:** इस योजना के तहत देश के 1 करोड़ घरों में सब्सिडी पर **रूफटॉप सोलर पैनल** लगाने का अभियान शुरू किया गया है। इन परिवारों को हर महीने **300 यूनिट बिजली मुफ्त** दी जाएगी।
- **नोडल मंत्रालय:** केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
- **विशेषता:** यह **दुनिया की सबसे बड़ी घरेलू रूफटॉप सोलर पहल** है।
- **सब्सिडी:** इस योजना के तहत आवासीय घरों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी/रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को सोलर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है।
  - विशेष राज्यों के लिए **प्रति किलोवाट 10% अतिरिक्त** सब्सिडी प्रदान की जाती है।

पोलर सिल्क रोड

चीन का एक जहाज **निंगबो-झोउशान बंदरगाह** से रवाना हुआ है, जो आर्कटिक महासागर से लगने वाले रूस के तट से होते हुए **'पोलर सिल्क रोड'** की शुरुआत कर रहा है।

पोलर सिल्क रोड के बारे में

- **पहल शुरू करने वाला:** चीन
- इसे **चीन की पहली आर्कटिक नीति श्वेत पत्र** (2018) में आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया था।
- पोलर सिल्क रोड आर्कटिक समुद्री मार्गों का एक नेटवर्क है, जो उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और पश्चिमी यूरोप को जोड़ता है। यह **पोत परिवहन के लिए छोटा और आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी रूट** है।
- **लक्ष्य:** आर्कटिक देशों के साथ नेविगेशन, पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, और अनुसंधान संबंधी सहयोग को मजबूत करना। इसका उद्देश्य **"ब्लू इकोनॉमिक कॉरिडोर"** को बढ़ावा देना भी है।

मास्को फॉर्मेट

7वीं मॉस्को फॉर्मेट बैठक में तालिबान के अधिकारी पहली बार आधिकारिक भागीदार के रूप में शामिल हुए।

मास्को फॉर्मेट के बारे में

- **स्थापना:** यह 2017 में स्थापित एक **क्षेत्रीय मंच** है। इसका उद्देश्य युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता की स्थापना करना और राष्ट्रीय मेलजोल को बढ़ावा देना है।
- **सदस्य देश:** भारत, अफगानिस्तान, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान।
  - ये सदस्य **अफगानिस्तान में शांति और स्थिरता** के बारे में चर्चा करने के लिए मिलते हैं।

ऑपरेशन हैची-VI (Operation HAECHI-VI)

CBI ने **इंटरपोल के ऑपरेशन हैची-VI** के तहत अंतरराष्ट्रीय साइबर अपराधों में शामिल आठ बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है।

ऑपरेशन हैची-VI के बारे में

- इसे **रिपब्लिक ऑफ कोरिया** से वित्तीय सहायता प्राप्त है।
- यह विभिन्न प्रकार के **अंतरराष्ट्रीय साइबर-आधारित वित्तीय अपराधों** से निपटने के लिए वैश्विक अभियानों की सीरीज का **छठा चरण** है।
- **उद्देश्य:**
  - **अवैध वित्तीय लेनदेन** को बाधित करना।
  - अपराधियों को **गिरफ्तार** करना।
  - साइबर-आधारित वित्तीय अपराधों के खिलाफ **अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना**।
- **यह अभियान पांच प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड से निपटता है:** निवेश से संबंधित धोखाधड़ी, रोमांस स्कैम, अवैध ऑनलाइन गैंबलिंग से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग, ऑनलाइन सेक्सटॉर्शन और वॉयस फिशिंग।

INS एंड्रोथ

भारतीय नौसेना ने **नेवल डॉकयार्ड विशाखापत्तनम** में INS एंड्रोथ को कमीशन किया।

INS एंड्रोथ के बारे में

- यह **INS अर्नाला** के बाद दूसरा **एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट (ASW-SWC)** है।
  - यह **गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE), कोलकाता** द्वारा बनाए जा रहे 8 ASW-SWC में से एक है।
- इसका नाम **लक्षद्वीप के सबसे उत्तरी द्वीप 'एंड्रोथ'** के नाम पर रखा गया है।
- **क्षमताएं:**
  - समुद्र में निगरानी,
  - खोज और बचाव,
  - तटीय और एंटी-सबमरीन रक्षा मिशन,
  - सामान्य समुद्री अभियान।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC)

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने **इंडियन फाइनेंसियल सिस्टम कोड (IFSC)** पंजीकरण के लिए सिस्टम-आधारित स्वतः मंजूरी प्रक्रिया शुरू की है। इससे व्यवसाय करने में आसानी होगी।

IFSC के बारे में

- **IFSC:** यह **11 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड** है, जिसे RBI द्वारा **हर बैंक शाखा को सौंपा** जाता है। यह कोड **हर बैंक शाखा के लिए अलग-अलग** होता है।
- **उद्देश्य:** यह सटीक ऑनलाइन लेन-देन (जैसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर - NEFT) सुनिश्चित करता है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित करता है कि राशि केवल संबंधित प्राप्तकर्ता तक ही पहुंचे।
  - IFSC का उपयोग भारतीय रुपए (INR) में किए जाने वाले लेनदेन के लिए किया जाता है।
- दूसरी ओर, **SWIFT** (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) कोड का उपयोग **अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर के लिए** किया जाता है।

CBIC के बारे में

- **CBIC** केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत कार्य करता है। इसे पहले **केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड** कहा जाता था।
  - केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड की स्थापना **1964** में हुई थी। इसे **2018 में CBIC नाम** दिया गया।
- यह सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु और सेवा कर (CGST), IGST लगाने और संग्रह करने से संबंधित **नीतियां बनाने** तथा तस्करी की रोकथाम का कार्य करता है।

भारत में आर्द्रभूमियों का कानूनी संरक्षण

सुप्रीम कोर्ट ने नागपुर की **फुटाला झील** को **आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017** के तहत **वेटलैंड (आर्द्रभूमि)** के रूप में वर्गीकृत करने से इनकार कर दिया। शीर्ष न्यायालय के अनुसार, यह **मानव-निर्मित जल निकाय** है जिसे सिंचाई कार्य के लिए बनाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बारे में

- न्यायालय ने कहा कि **2017 के नियमों** के तहत आर्द्रभूमि की परिभाषा में **सिंचाई, जलीय कृषि, नमक उत्पादन और मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए मानव-निर्मित जल निकाय शामिल नहीं हैं।**
- **अन्य अपवाद:** नदी चैनल, धान के खेत, तथा वे आर्द्रभूमियां जो निम्नलिखित अधिनियमों/ अधिसूचनाओं के अंतर्गत आती हैं, उन्हें भी **आर्द्रभूमि संरक्षण नियम, 2017** में शामिल नहीं किया गया है:
  - वन अधिनियम, 1927;
  - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972;
  - तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना, 2011
- **संरक्षण की अनिवार्यता:** हालांकि, न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे जल निकायों को व्यापक **लोक न्यास सिद्धांत** के तहत और संविधान के **अनुच्छेद 21 (स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार)** के अनुसार संरक्षित किया जाना चाहिए।
  - **लोक न्यास सिद्धांत (Public Trust Doctrine):** यह सिद्धांत मानता है कि सभी साझा प्राकृतिक संसाधन राज्य यानी सरकार के पास **लोक न्यास** के रूप में रखे गए हैं, और राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह उनका संरक्षण करे।

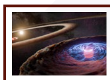

WISPIT 2b

खगोलविदों ने प्रत्यक्ष रूप से WISPIT 2b नामक **प्रोटोप्लेनेट** की तस्वीर ली है। यह **प्रोटोप्लेनेट** अपने तारे WISPIT 2 के चारों ओर स्थित **प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क** के भीतर निर्मित हो रहा है।

- **प्रोटोप्लेनेटरी डिस्क:** यह किसी नवनिर्मित युवा तारे के चारों ओर गैस और धूल का एक चपटा और घूमता हुआ डिस्क होता है। **इसी से ग्रहों का निर्माण होता है।**
- **प्रोटोप्लेनेट:** यह वह खगोलीय पिंड है जो धीरे-धीरे पदार्थ एकत्रित कर एक पूर्ण ग्रह के रूप में विकसित हो रहा होता है।

WISPIT 2b के बारे में

- यह **गैसीय विशालकाय** ग्रह है। इसका द्रव्यमान बृहस्पति के द्रव्यमान का लगभग **पांच गुना** है। यह अत्यंत **युवा** है, और इसकी आयु केवल **50 लाख वर्ष** अनुमानित है।
- इसका नाम **'वाइड सेपरेशन प्लैनेट्स इन टाइम'** नामक एक शोध कार्यक्रम के नाम पर रखा गया है।
- **महत्त्व:** यह खोज पहली बार प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रदान करती है कि **प्रोटोप्लेनेटरी** डिस्क में देखे जाने वाले अंतराल (gaps) वास्तव में निर्मित हो रहे ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण द्वारा बनाए जाते हैं।